न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 144 / 2015

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 मोहरीलाल पुत्र धोकलराम।
2 ताराचन्द पुत्र धोकलराम समस्त जाति घोषी निवासीगण शिश्यू तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

1 रामरतन पुत्र शिवपाल राम जाति बलाई निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

2 ताराचन्द पुत्र बंशीधर जाति बलाई निवासी रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।

3 सन्तरा देवी पत्नी श्रवण कुमार जाति रैगर निवासी रायपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

4 हनुमान पुत्र गोविन्दराम जाति बलाई निवासी बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

5 प्रेम देवी पत्नी हनुमान सहाय जाति बलाई निवासी खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

6 रामदयाल पुत्र घासीराम जाति बलाई निवासी रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

7 रामनिवास पुत्र हरचन्द जाति बलाई निवासी गोठड़ा भूखरान तहसील व जिला सीकर।
8 कविता पत्नी रामनिवास जाति बलाई निवासी गोठड़ा भूखरान तहसील व जिला सीकर।
9 शिवपाल पुत्र कालूराम जाति बलाई निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
10 उप पंजियक पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
11 पटवार हल्का शिश्यू तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
12 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।
13 जयराम पुत्र मोहरीलाल जाति घोरी निवासी शिश्यू तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री सहायक
कलेक्टर प्रथम सीकर दिनाक 08.07.15
उनवानी मोहरीलाल बनाम रामरतन
मुकदमा नम्बर 167/2014

उपस्थित

1. श्री रणजीत सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नरेश कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

Law
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–28.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर दावा संख्या 167/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने प्रतिवादी रेस्पोडेंट के विरूद्व दावा बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा, उद्घोषणा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1390,1391,1392,1393,1435 1436,1437,1438 ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ़ के सन्दर्भ में पेश किया विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 से 9 द्वारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन की सहमती दी। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 30.06.2015 से प्राथमिक डिक्री जारी कर उप तहसीलदार पलसाना से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये गये विचारण न्यायालय में 6.07.2015 को बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 08.07.2015 से अंतिम डिक्री पारित की गई जिससे व्यथित होकर वादी अपीलांट की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों के कथनों को दोहराते हुये तर्क दिया कि अन्य सहकाश्तकारों ने विवादित भूमियों में से अपना हिस्सा अजनबी एवं भू–माफिया को विकय कर दिया है अब वे अजनबी भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहते है विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिकी के समय दोनों पक्षों को नही सुना है पटवारी हल्का गिरदावर ने मनमर्जी से प्रस्ताव तैयार किये है। अपीलांट को सुना नही गया है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वाद अपीलांटस का था रेस्पोडेंटस ने बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन की सहमती दी थी विचारण न्यायालय ने इसी आधार पर प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.06.2015 को जारी की थी। जिसके विरूद्व अपीलांट ने कोई अपील प्रस्तुत नही की है विचारण न्यायालय में तहसीलदार ने मौके पर जाकर विधि अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये अपीलांट ने विचारण न्यायालय में कोई आपति प्रस्तुत नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद वादी अपीलांट ने पेश किया था प्रतिवादीगण रेस्पोडेंटस ने सहमती जाहिर की थी। पक्षकारों के मध्य हिस्से को लेकर कोई विवाद नही है केवल मात्र विभाजन का विवाद है विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी की सहमती के आधार पर बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है जिसके विरूद्व वादी अपीलांट ने कोई अपील प्रस्तुत नही की है अत प्राथमिक डिक्री के सन्दर्भ में इस स्तर पर कोई विचार किया जाना शेष नही है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री में हम कोई त्रुटि नही पाते है, न ही इसमें कोइ हस्तक्षेप करना उचित समझते है।

विचारण न्यायालय की प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में उप तहसीलदार पलसाना ने विवादित भूमि के सन्दर्भ में बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय ने 06.07.2015 पेश किये है विचारण न्यायालय ने 07.07.2015 की आदेशिका पर अंकित किया है कि वकील उभयपक्ष उपस्थित वकील उभयपक्षों को अन्तिम डिक्री जारी करने पर सुना गया और दिनांक 08.07.2015 को विचाराधीन निर्णय से अन्तिम डिक्री पारित की गई विचारण न्यायालय की कार्यवाही एवं इस

अन्तिम डिकी में क्या अवैधानिकता है यह तथ्य अपीलाट ने अपील मेमों एवं वर वक्त बहस जाहिर नही किया है ऐसी स्थिति में हम विचारण न्यायालय के विचाराधीन निर्णय व डिकी को विधि सम्मत पाते है एवं इसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही पाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/9/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर